Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- दौसा में आरोपी विश्राम मीणा हाल मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दौसा आगार को 20,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 8 अप्रेल, 2026 बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार** द्वारा 20,000/- **रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. **हैल्पलाईन नम्बर 1064** पर परिवादी की शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के बीमार होने पर दिनांक 18.12.2025 से मैडिकल अवकाश पर उपचार के लिय कार्यालय से अवकाश पर रहा दिनाक 19.01.2026 को स्वास्थ्य ठीक होने पर ड्यूटी ज्वाईनिंग कर ली थी और मैडिकल से संबंधित सभी चिकित्सकीय दस्तावेज कार्यालय बाबू (एलडीसी) भगवत जी को सुपुर्द कर दिये थे उसके बाद परिवादी कार्यालय प्रभारी श्री विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार से दिनांक 25.03.26 को मैडिकल पास करवाने बाबत उनके ऑफिस में जाकर मिला जिस पर विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक ने परिवादी से मैडिकल पास करने की एवज में 20,000/-रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा दौराने सत्यापन दिनांक 02.04.2026 व 7.04.2026 को 20,000/- रूपये की मांग और मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए विश्राम मीणा, मुख्य प्रबंधक राजस्थान पथ परिवहन निगम दौसा आगार को परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।